

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

अब्दुल कव्यूम अंसारी मेमोरियल भवन, 34, हाडिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001

Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994 (Email= bsmfcipatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:----- नि०रो०/ऋण/3-08/19

पटना, दिनांक: -----

संशोधित स्वीकृत्यादेश

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 के तहत स्वीकृत्यादेश संख्या-1812 दिनांक-03.12.2019 क्रमांक-2 पर अंकित सईदुल्लाह, पिता-रीफुल आजम, ग्राम + पो० शाना - इनरवा, प्रखण्ड - मैनाटांड, जिला-पश्चिम चम्पारण - 845306 को किताब दुकान ट्रेड के लिए ₹ 1,00,000/- ऋण की स्वीकृति दी गई थी। आवेदकों ने ₹ 2,030/- डीडी की राशि जमा नहीं करने पर उनके खाते में RTGS नहीं किया गया था। अतएव पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है।

Sl. No	चयन सूची क्रम	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	163/243	SAYEEDULLAH, S/o- RAUFUL AZAM, Vill. + PS + PO -INARWA, Block-MAINATAND, Distt.-WEST CHAMPARAN -845306, Mobile No - 9661088697	A/c No.:- 2295000100104763 ,PUNB0229500	BOOK SHOP	100000	500 + 2030 = 2530	97470
TOTAL					1,00,000	2,530	97,470


स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ज्ञापांक:--947--

प्रतिलिपि:-ऋणधारक/ ऋण शाखा/ऋण शाखा/(कम्प्यूटर सेल)/ लेखा शाखा/ प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस /ई-मेल करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/-
प्रबंध निदेशक
दिनांक: 29-06-2020


प्रबंध निदेशक